दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

बधाई एवं अवकाश सूचना

सभी पाठकों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं... विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर न्याय साक्षी कार्यालय में 17 सितंबर को अवकाश रहेगा। अगला अंक 19 सितंबर को प्रकाशित होगा।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 17 सितंबर 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 349

महत्वपूर्ण एवं खास

फोन छिनना पड़ा महंगा, 15 किलोमीटर तक ट्रेन की खिड़की पर लटका रहा चोर

बेगूसराय (आरएनएस)। देश में चोरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासकर चोरों की संख्या रेलवे स्टेशन में देखने को मिलती है। चोर रेलवे स्टेशन में यात्रियों के बैग, पर्स समेत कई चीजों को छीनते है। ऐसा ही एक मामला बिहार के बेगूसराय से सामने आया है। दरअरसल, यहां एक चोर को मोबाइल चोरी करना महंगा पड़ गया। चोर ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक चोर ट्रेन की खिडक़ी से लटका हुआ है और जान की भीख मांग रहा है। यह वायरल वीडियो बिहार के बेगूसराय का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे समस्तीपुर-कटिहार पैसेंजर ट्रेन साहेबपुर कमाल-उमेशनगर के बीच गुजर रही थी। ट्रेन की खिडक़ी के पास बैठे एक यात्री मोबाइल से बात कर रहे थे। ट्रेन जैसे ही चलना शुरू हुई चोर ने यात्री के फोन पर झपट्टा मार दिया। यात्री ने चोर का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद चोर को साहेबपुर कमाल से खगडिय़ा तक ट्रेन पर लटकाकर ही ले जाया गया। करीब 15 किलोमीटर तक ट्रेन की खिडक़ी पर दोनों हाथ के सहारे चोर लटका रहा। युवक का नाम पंकज कुमार बताया जा रहा है। मोबाइल चोर बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

चोरों ने बच्चे के गर्दन पर चाकू रख मां से किया सामूहिक दुष्कर्म

कोलकाता (आरएनएस)। एक बार फिर राज्य में सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है। पुलिस व स्थानीय लोगों के अनुसार घटना उत्तर चौबीस परगना जिले के बशीरहाट अंचल के हासनाबाद थाना अंतर्गत भेदिया इलाके में गुरुवार की रात घटी। आरोप है कि यहां इलाके के ही एक घर में दो युवक चोरी करने के लिए घुसे। आरोप है कि घर में चोरी करने जैसी कोई चीज उन्हें नहीं मिली तो अभियुक्तों की घर में मौजूद महिला पर ही नियत खराब हो गयी। उन्होंने महिला के ढाई साल के बच्चे के गले में चाकू रख उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। रात महिला का पति इलाके के ही एक मछली की तालाब की पहरेदारी कर रहा था। उनकी माली हालत भी अच्छी नहीं है। दूसरे इस घटना को लेकर इलाके में बदनामी होने की सोच पीडि़ता ने चुप्पी साधी हालांकि आज पीडि़ता की तबीयत बिगड़ी तो उसने यह बात अपने पति को बतायी। उसके इलाके के लोगों को जब यह बात बतायी तो इलाका वासियों को गुस्सा फूटा। लोगों ने दोनों अभियुक्तों को खोजकर पकड़ लिया और उनकी सामूहिक पिटायी की व पुलिस के हवाले कर दिया। हासनाबाद थाने की पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पीडि़ता को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है।

भारत गौरव ट्रिस्ट ट्रेन 30 सितंबर को पहली बार दिल्ली से कटरा के लिए चलेगी

नई दिल्ली (आरएनएस)। आने वाले त्योहार के सीजन को देखते हुए रेल मंत्रालय लोगों को स्पेशल ट्रेन की सौगात देने जा रहा है। आईआरसीटीसी ने यह घोषणा की है कि 30 सितंबर को पहली बार नवरात्रि विशेष ट्रेन दिल्ली से कटरा के लिए चलाई जाएगी। आईआरसीटीसी ने 4 दिनों और 5 रातों के पैकेज की घोषणा की है। जिसमें कटरा में दो रात रुकने की व्यवस्था शामिल है। इस पैकेज की कीमत 11990 रुपए प्रति व्यक्ति रखी गई है। भारत गौरव ट्रेन के अंदर पैंट्री कार, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड समेत अन्य सुविधाएं मौजूद होंगी। ट्रेन के अंदर प्राचीन भारतीय ग्रंथों को आधार रखकर कलाकारी की गई है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को चलाया गया है। इस ट्रेन को अंदर से बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है ताकि इस में यात्रा कर रहे यात्री अपनी यात्रा के दौरान काफी अच्छा महसूस कर सके। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से इस ट्रेन के डिपार्चर को शाम 7 बजे का समय रखा गया है। अगले दिन यह ट्रेन कटरा वैष्णो देवी पहुंच जाएगी उसके बाद वहां पर दो दिनों का हाल्ट लेकर कटरा वैष्णो देवी से वापस आएगी और पांचवें दिन दिल्ली सफदरजंग पहुंच जाएगी।

यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों को सुप्रीम राहत

❐ केंद्र सरकार को सुझाव

नई दिल्ली (आरएनएस)। यूक्रेन और रुस के बीच पिछले कई महीनों से युद्ध जारी है। दोनों देशों के बीच फरवरी महीने से ही कुछ भी ठीक नहीं है। यूक्रेन में मेडकिल की पढ़ाई करने गए दूसरे देशों के छात्र बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने वतन लौटे। छात्रों को अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोडक़र अपने देश वापस लौटना पड़ा। भारत के भी हजारों छात्रों के सामने बेहतर भविष्य का संकट खड़ा हो गया। यूक्रेन में अपनी अधूरी पढ़ाई छोडक़र आए मेडिकल के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो शुक्रवार को सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार को एक वेब पोर्टल बनाने का सुझाव दिया है। इस पोर्टल के जरिए यूक्रेन से भारत लौट मेडिकल के छात्रों को दूसरे देशों में दाखिला यानी एडमिशन कराने में आसानी हो सके।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने केंद्र सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख रहे जनरल तुषार मेहता से कहा कि, सरकार को उन भारतीय छात्रों की मदद करनी चाहिए जिससे छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे देशों में आसानी से एडमिशन मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक वेब पोर्टल शुरू करें, जिसमें विदेशों में मौजूद विश्वविद्यालय की खाली सीटों, फीस जैसी जानकारी दी जाए और ये भी सुनिश्चित करें कि इसमें एजेंटों का कोई रोल न हो। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, सरकार को अपने संसाधनों का इस्तेमाल यूक्रेन से अपनी पढ़ाई को छोडक़र भारत लौटे छात्रों की मदद के लिए करना चाहिए।

सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख रहे जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, वो छात्रों के प्रतिकूल रुख नहीं अपना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सुझावों पर सरकार से बात करेंगे। जिसके लिए जनरल तुषार मेहता ने समय मांगा है।

इसके अलावा जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि, केंद्र ने छात्रों की मदद

के लिए कई उपाय किए हैं, उनके लिए अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए अनुमति दी गई है और यह भी तय किया गया कि वे अपनी डिग्री यूक्रेन से प्राप्त करेंगे, साथ ही अकादमिक गतिशीलता कार्यक्रम भी किया गया। यहां पहले अपको ये बता दें कि, अकादमिक गतिशीलता कार्यक्रम क्या है। जिन भारतीय एमबीबीएस छात्रों को वापस आना पड़ा था, वे अब अस्थायी रूप से कुछ अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, संभवत यूरोप में, लेकिन वे मूल यूक्रेनी विश्वविद्यालय के छात्र बने रहेंगे।

सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि, सरकार को भारतीय कॉलेजों में 20,000 छात्रों को प्रवेश देने में समस्या है और छात्रों को वैकल्पिक अकादमिक गतिशीलता कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए विदेशों में जाना होगा, और केंद्र को समन्वय करना चाहिए, सभी आवश्यक मदद करनी चाहिए।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी अधिनियम, 2019 के तहत प्रावधान के अभाव में मेडिकल छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन नहीं किया जा सकता है और अगर इस तरह की कोई छूट दी जाती है तो यह देश में मेडिकल की शिक्षा के मानकों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।

वहीं एक हलफनामे में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के केंद्रीय मंत्रालय ने कहा, इन रिटर्न छात्रों को भारत में मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफर यानी दाखिला करने की अपील न केवल भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956, और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के नियमों का उल्लंघन करेगी। साथ ही इसके तहत बनाए गए नियम, देश में स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के नियमों को भी गंभीर रूप से बाधित करेगी।

शुक्रवार की सुनवाई के दौरान, एक वकील ने सुझाव दिया कि केंद्र को जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार यूक्रेन से लौटे 20,000 छात्रों को युद्ध पीडित घोषित करना चाहिए और उन्हें राहत देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मौखिक रूप से कहा कि, वकील को इसे उस स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि छात्र खुद ही मर्जी से वहां गए थे।

केंद्र सरकार के वकील मेहता ने कहा कि, एनएमसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों में अकादमिक गतिशीलता की अनुमति दी है, जिससे वे छात्र अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और अदालत को यह भी बताया कि छात्रों के साथ समन्वय करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सी किस्में संगत हैं।

इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, एक अधिकारी 20,000 छात्रों को नहीं संभाल सकता है और सरकार छात्रों के लिए सूचना पहुंचने के लिए वेब पोर्टल विकसित कर सकती है।

वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने भाषा और फीस के मुद्दों पर ध्यान खींचते हुए कहा कि, एक छात्र जो एक यूक्रेनी विश्वविद्यालय में पढ़ता है, उसे दूसरे विश्वविद्यालय के अनुकूल होना मुश्किल हो सकता है, और फीस से संबंधित मुद्दे भी खड़े हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वे पोर्टल पर सभी जानकारी देंगे। अगर छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, तो कोई रास्ता निकालना ही होगा।

दूसरी तरफ कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत ने कहा कि, यदि विदेशी विश्वविद्यालय छात्रों को अपने वहां दाखिला दे सकते हैं तो भारतीय विश्वविद्यालय भी ऐसा कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, आपका भारतीय विश्वविद्यालयों पर अधिकार नहीं है।

अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर का दिन तय किया है।

बैंक से करीब 3 करोड रुपए के गबन का आरोपी तत्कालिक बैंक मैनेजर गिरफ्तार

करौली (आरएनएस)। थाना लांगरा पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा कुडग़ांव में 1 करोड़ 71 लाख रुपए के गबन एवं फर्जकारी के मुख्य आरोपी तत्कालीन बैंक मैनेजर संतोष कुमार मीणा पुत्र प्यारेलाल (35) निवासी खिऱरीखड़ा थाना सपोटरा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी इसी बैंक की शाखा कैलादेवी में भी 1 करोड़ 22 लाख रुपए के गबन का आरोपी है।

करौली एसपी नारायण टोगस ने बताया कि 13 जुलाई 2021 को पीएनबी बैंक शाखा कुडग़ांव के बैंक मैनेजर श्यामलाल ने पूर्व बैंक मैनेजर संतोष मीणा एवं पूर्व अधिकारी विनोद मीणा के विरुद्ध एक करोड़ 71 लाख रुपए के गबन करने की रिपोर्ट थाना कुडग़ांव पर पर दर्ज कराई थी। प्रारंभिक अनुसंधान के बाद लांगरा थानाधिकारी

मुकेश कुमार को जांच सौंपी गई। जिनकी टीम ने गहन अनुसंधान कर मुख्य आरोपी संतोष मीणा को पूछताछ के बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।

गबन का तरीका-

तत्कालीन बैंक मैनेजर संतोष मीना ने अपने अन्य अधिनस्थ एवं अन्य एजेंटों के माध्यम से मिल कर बैंक खातों में बिना मैनडेट का उपयोग किये ही पद का दुरूपयोग कर विभिन्न खातों से पैसे निकाले। कई ग्राहकों का बिना उचित दस्तावेज लिये ही लोन कर उनसे धोखाधडीपूर्वक चैक प्राप्त कर उन चैकों के माध्यम से रूपये अपने साथी एजेंटों के खातों में डालकर निकाले गऐ। आरोपी से सम्पूर्ण गबन में संलिप्त अन्य आरोपियों के बारे में अनुसंधान किया जावेगा।

पीएनबी की बड़ी लापरवाही : बक्से में रखे-रखे सड़ गए 42 लाख के नोट, 4 अफसर सस्पेंड

कानपुर (आरएनएस)। कानपुर में पंजाब नेशनल बैंक की पांडु नगर शाखा की करेंसी चेस्ट में रखे 42 लाख रुपये सीलन से गल गए। बैंक के अधिकारियों ने किसी को मामले की भनक नहीं लगने दी, लेकिन जुलाई के अंत में आरबीआई ने जब करेंसी चेस्ट का ऑडिट किया, तो मामला खुल गया। अंतत: बैंक प्रबंधन ने चेस्ट में रकम की कमी का हवाला देकर चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। किसी भी बैंक में ये अपनी तरह का अजीबो-गरीब मामला है। बैंक अफसर इस बाबत कुछ बोलने से बच रहे हैं लेकिन रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में नोट सडऩे का खुलासा कर दिया गया है।

पांडुनगर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में ही मुख्य करेंसी चेस्ट है। बैंक सूत्रों के मुताबिक चेस्ट में क्षमता से दोगुनी ज्यादा रकम भरी है। इस वजह से कैश रखने के निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया गया। करीब तीन महीने पहले फर्श में रखे बॉक्स में पानी चला गया और सीलन की वजह से नीचे रखे नोट सड़ गए। आरबीआई ने हाल में इस चेस्ट का निरीक्षण किया तो नोट सड़े मिले। तभी से सड़ गए नोटों की वास्तविक संख्या जानने के लिए जांच चल रही थी। शुरुआती गिनती में बैंक को मामला दो-चार लाख का ही लगा लेकिन गिनती खत्म होते-होते यह रकम 42 लाख तक पहुंच गई।

यह उजागर होने पर हडक़ंप मच गया और रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई। बैंक की जोनल ऑडिट और विजिलेंस टीम ने चेस्ट की जांच की। बैंक सूत्रों के मुताबिक मामला रफा-दफा करने के लिए अधिकारियों पर 42 लाख रुपये की भरपाई का दबाव डाला गया। इनकार करने पर बुधवार देर शाम करेंसी चेस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक देवी शंकर, प्रबंधक आशाराम, चेस्ट आफिसर राकेश कुमार और वरिष्ठ प्रबंधक भास्कर कुमार भार्गव को सस्पेंड कर दिया गया। चार में से तीन अधिकारियों की तैनाती नोट भीगने के बाद चेस्ट में की गई थी।

करेंसी चेस्ट के निरीक्षण के लिए आरबीआई ने नियम तय किए हैं। चेस्ट शाखा के चीफ मैनेजर को महीने में एक बार करेंसी चेस्ट का निरीक्षण करना अनिवार्य है। बैंक कर्मी सवाल उठा रहे हैं कि तत्कालीन चीफ मैनेजर सर्वेश सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसी तरह बैंक के सर्किल हेड की भी जिम्मेदारी है कि वह चेस्ट का तिमाही या छमाही निरीक्षण करें। उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरबीआई की करेंसी चेस्ट ऑडिट रिपोर्ट में 18 वें बिंदु पर नोट सडऩे और उनके अगणनीय होने का जिक्र किया गया है।

फाइनांस कंपनी के रिकवरी एजेंटों की हैवानियत, ट्रैक्टर ले जाने के चक्कर में किसान की गर्भवती पुत्री को कुचल कर मारा

रांची (आरएनएस)। हजारीबाग जिले के इचाक में एक निजी फाइनांस कंपनी के रिकवरी एजेंटों ने एक दिव्यांग किसान मिथिलेश मेहता की युवा गर्भवती पुत्री मोनिका मेहता को ट्रैक्टर से कुचल डाला। गंभीर रूप से जख्मी मोनिका ने बीती शाम इलाज के लिए रांची लाये जाने के दौरान दम तोड़ दिया। इस वारदात को लेकर इचाक के ग्रामीणों में जबर्दस्त गुस्सा है। शुक्रवार सुबह इसकी खबर इलाके में फैली तो बड़ी संख्या में लोगों ने हजारीबाग शहर स्थित फाइनांस कंपनी के दफ्तर को घेर लिया। प्रदर्शनकारी मोनिका मेहता को कुचलकर मारने वाले एजेंटों को गिरफ्तार करने और मृतका के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।

इचाक के सिजुआ गांव निवासी दिव्यांग किसान मिथिलेश मेहता ने बताया है कि उन्होंने महिंद्रा फाइनांस से कर्ज लेकर सितंबर 2018 में एक ट्रैक्टर खरीदा था। कोविड के दौरान पैदा हुई परेशानियों के चलते वह कर्ज की छह ईएमआई नहीं चुका पाये थे। कंपनी की ओर से मिली नोटिस के अनुसार उन्हें ब्याज सहित 13 लाख रुपये जमा करने थे। बीते 13 सितंबर को वह 12 लाख रुपये लेकर कंपनी के हजारीबाग स्थित दफ्तर गये, लेकिन उनसे कहा गया कि अब एकमुश्त 13 लाख रुपये जमा लिये जायेंगे अन्यथा ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जायेगा।

इसके बाद मिथिलेश घर लौटकर और पैसे जुटाने की तैयारी में जुटे थे कि 15 सितंबर को कंपनी के रिकवरी एजेंट सिजुआ स्थित एक पेट्रोल पंप पर खड़े उनके ट्रैक्टर को खींचकर ले जाने लगे। इसकी जानकारी मिलने पर मिथिलेश अपनी विवाहिता पुत्री मोनिका के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर ले जा रहे लोगों को रोककर उनसे बातचीत की। मिथिलेश मेहता ने तत्काल रुपये जमा करने की बात कही, लेकिन वे लोग ट्रैक्टर ले जाने पर अड़े रहे। इसपर खुद को कंपनी का जोनल मैनेजर बताने वाले एक शख्स से मोनिका ने जब उनका आईडी मांगा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने ट्रैक्टर चालक को उसे रौंदते हुए गाड़ी बढ़ाने को कहा। चालक ने ऐसा ही किया। मोनिका बुरी तरह जख्मी हो गयी। उसे पहले हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया। गंभीर हालत देखते हुए उसे डॉक्टरों ने रांची के लिए रेफर कर दिया। मिथिलेश मेहता के अनुसार उनकी पुत्री तीन महीने की गर्भवती थी। मोनिका के पति कुलदीप असम में गाड़ी चलाते हैं।

पुलिस ने मिथिलेश मेहता का फर्द बयान लिया है और एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में महिंद्रा फाइनांस के स्थानीय अफसरों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल बंद पाया गया। हजारीबाग के एसपी मनोज रतन चोथे ने कहा है कि यह बेहद गंभीर घटना है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। इधर इस घटना को लेकर शुक्रवार सुबह से ही लोगों का गुस्सा उबाल पर है। पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता और हजारीबाग जिला परिषद अध्यक्ष उमेश कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने हजारीबाग स्थित महिंद्रा फाइनांस के दफ्तर को घेर रखा है।

200 फिट गहरे खुले बोरवेल में गिरी 2 वर्षीय बालिका को किया सुरक्षित रेस्क्यू

जयपुर (आरएनएस)। दौसा जिले के बांदीकुई थाना अंतर्गत जस्सा पाड़ा गांव के 200 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिरी 2 वर्षीय बालिका को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं सिविल डिफेंस की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जिसे फिलहाल चिकित्सकीय देखरेख के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीआरएफ के कमांडेंट राजकुमार गुप्ता ने बताया कि गुरुवार को बांदीकुई क्षेत्र के जस्सा पाड़ा गांव में 200 फिट खुले बोरवेल को मिट्टी से भरा जा रहा था। जिसे लगभग 120 तक भरा जा चुका था। इसी दौरान देवनारायण गुर्जर की 2 वर्षीय बेटी अनीता खेलते समय खुले बोरवेल में गिर गई। जिला कलेक्टर दौसा से मिली सूचना पर जयपुर में तैनात ए कंपनी की 3 रेस्क्यू टीम व दौसा और नारेली अजमेर में तैनात रेस्क्यू टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। एडीजी एसडीआरएफ सुमित विश्वास द्वारा सहायक कमांडेंट सुरेश कुमार मेहरानियां को ऑपरेशन के सुपर विजन का दायित्व सौंपा गया। वे रेस्क्यू टीम तथा आपदा राहत उपकरणों के साथ दोपहर करीब 1.15 बजे घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सिविल डिफेंस की टीम द्वारा रेस्क्यू के प्रयास किए जा रहे थे। रेस्क्यू टीम के जवानों ने सबसे पहले स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर तीन एलएनटी तथा तीन जेसीबी मशीनों की सहायता से बोरवेल से 10 फीट की दूरी पर बोरवेल के समानांतर एक गड्ढे की खुदाई चालू की।

देश के लिए ऐतिहासिक दिन, मोदी अपने जन्मदिन पर मप्र की धरती से देंगे चीतों की सौगात

भोपाल (आरएनएस)। समूचे भारतवर्ष के लिए कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'आजादी के अमृत महोत्सव' के दौरान अपने जन्मदिन के अवसर पर करीब 75 वर्ष बाद मध्यप्रदेश की धरती से भारत को एक बार फिर दुनिया के सबसे तेज दौडऩे वाले प्राणी चीतों की सौगात देंगे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी कल इन चीतों को मध्यप्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्स्थापित करेंगे।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पहली खेप में नामीबिया से तीन चीते, जिसमें दो नर और एक मादा लाये जा रहे हैं। बाकी चीते बाद में यहां लाकर बाड़े में छोड़े जाने की योजना को मंजूरी मिली है। कूनो नेशनल पार्क में कुल बीस चीते, जिसमें

12 दक्षिण अफ्रीका और आठ नामीबिया से लाकर बसाए जाने की खबरें हैं।

अधिकृत जानकारी के अनुसार पांच सौ वर्ग किलोमीटर का चीतों के लिये बनाया गया विशेष बाड़ा पूरी तरह से तैयार है। इसी बाड़े के पास चार हेलीपेड बनाकर तैयार किये गए हैं, जिन पर चीतों को लाने वाला चॉपर उतरेगा। यहीं पर ही प्रधानमंत्री और अन्य विशेष अतिथियों के हेलीकॉप्टर उतरेंगे। हेलीपेड से तीन सौ मीटर की दूरी पर बाड़े का मुख्यद्वार है, जिससे प्रधानमंत्री श्री मोदी चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार कूनो राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से लगे हुए गांवों में पशुओं के टीकाकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। क्षेत्र के समस्त गांवों में जागरूकता शिविर लगाए गए हैं तथा कूनो से लगे आसपास के ग्रामों के 457 लोगों को चीता मित्र बनाया गया है। यहाँ चीतों के रहवास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विकास किया गया है। पानी की व्यवस्था के साथ आवश्यक सिविल कार्य भी पूरे किए गए हैं।

कूनो में वन्य-प्राणियों का घनत्व बढ़ाने के लिए नरसिंहगढ़ से चीतल लाकर छोड़े गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्र में शिकार का घनत्व चीतों के लिए पर्याप्त है। नर चीते दो या दो से अधिक के समूह में साथ रहते हैं। सबसे पहले चीतों को दो-तीन सप्ताह के लिए छोटे-छोटे पृथक बाड़ों में रखा जाएगा। एक माह के बाद इन्हें बड़े बाड़ों में स्थानांतरित किया जाएगा। विशेषज्ञों द्वारा बड़े बाडों में चीतों के अनुकूलन संबंधी आंकलन के बाद पहले नर चीतों को और उसके पश्चात मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। इस संबंध में आवश्यक प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

धरती के सबसे तेज दौडऩे वाले वन्य प्राणी चीते की आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान भारत की धरती पर करीब 75 वर्ष बाद ही वापसी हो रही है। माना जाता है कि मध्यभारत के कोरिया (वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित) के पूर्व महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव द्वारा 1948 में भारत में अंतिम चीते का शिकार किया गया था। अंग्रेज सरकार के अधिकारियों एवं भारत के राजाओं द्वारा किये गये अत्यधिक शिकार से 19वीं शताब्दी में इनकी संख्या में अत्यधिक गिरावट आई। अंतत: 1952 में भारत सरकार ने अधिकारिक तौर पर देश में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया।

भारत में चीतों का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। मध्यप्रदेश के गांधीसागर अभयारण्य के चतुर्भुज नाला एवं खरबई, जिला रायसेन में मिले शैल चित्रों में चीतों के चित्र पाये गये हैं।

भारत में चीतों के पुनर्स्थापना हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ अंतर्राष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों की बैठक वर्ष 2009 में आयोजित की गई। वर्ष 2010 में भारतीय वन्य-जीव संस्थान द्वारा चीता पुनर्स्थापना हेतु संपूर्ण भारत में संभावित 10 क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया। इन संभावित 10 स्थलों में से कूनो अभयारण्य (वर्तमान कूनो राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर) को सबसे उपयुक्त पाया गया। चीतों की पुनर्स्थापना के संबंध में पर्याप्त अध्ययन न होने से वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चीता को भारत लाये जाने पर रोक लगा दी गई। चीतों के पुनर्स्थापना हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 जनवरी 2020 को अनुमति प्रदान की गई एवं चीता परियोजना हेतु मॉनीटरिंग के लिये 3 सदस्यीय विशेषज्ञ दल का गठन किया गया।